पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अनिल प्रसाद और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2023 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 4516

30 जनवरी 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 337, 504 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए लिया गया संज्ञान आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 147, 148, 149, 323, 307, 337, 504—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए)—संज्ञान—सूचक/प्रतिवादी संख्या 2 ने एफआईआर में 35 व्यक्तियों को आरोपी बनाया, लेकिन प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उनमें से किसी के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया—अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी हैं—प्रतिवादी संख्या 2 की भैंस को बिजली के नंगे तार में बिजली की आपूर्ति के कारण करंट लगने की घटना हुई जो भैंस के संपर्क में आ गई—उसके बाद एफआईआर में आरोपित घटना हुई।

निर्णीत: प्रतिवादी संख्या 2 ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनमें से किसी की भी कोई विशिष्ट भूमिका उजागर किए बिना अपना मामला दर्ज किया—जबकि उसी घटना के संबंध में पुलिस ने पहले एक मामला दर्ज किया था जो सत्य पाया गया था—दोनों पक्षों के व्यक्तियों को आरोप पत्र दायर किया गया था, इसलिए, कथित अपराधों का संज्ञान लेने वाले आक्षेपित आदेश को अलग रखा गया और अपील को स्वीकार किया गया।

(पैराग्राफ 5 से 6)

न्याय दृष्टान्त

उपलब्ध नहीं है

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

मुख्य शब्दों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 337, 504, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, संज्ञान, बिजली का झटका लगने की घटना, एफआईआर।

प्रकरण से उत्पन्न

शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना केस संख्या 290/2022 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, शेखपुरा की अदालत द्वारा पारित आदेश, जो एससी/एसटी केस संख्या 45/2022 से उत्पन्न हुआ है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से: श्री बिनय कृष्ण, अ.लो.अ.
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: श्री बिपिन कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 4516

थाना से उत्पन्न मामला संख्या-290 वर्ष-2022 थाना-शेखपुरा जिला-शेखपुरा

==

1. अनिल प्रसाद, पिता स्वर्गीय ब्रमदेव महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
2. पंकज प्रसाद, पिता राज कुमार महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
3. सोनू कुमार, पिता नरेश प्रसाद, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
4. टिंकू प्रसाद, पिता कपिलदेव महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा

5. पंकज महतो, पिता रामचन्द्र महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
6. नीतीश कुमार, पिता रामचन्द्र महतो, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
7. पवन महतो, पिता स्व.उमेश महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
8. श्रवणजीत महतो, पिता स्व.उमेश महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
9. मंटू राम उर्फ राजू राम, पिता मिश्री राम, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
10. शुभम् कुमार, पिता वशिष्ट राम, ग्राम- जीवनबीघा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
11. राज प्रसाद, पिता रघुनी महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
12. कन्हैया कुमार, पिता भूषण महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
13. निलेश महतो, पिता दुबरी महतो उर्फ द्वारिका महतो, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
14. सन्नी कुमार, पिता निलेश महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
15. बॉबी कुमार, पिता निलेश महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
16. अरबिन्द कुमार पिता श्रवण प्रसाद ग्राम- जीवनबीघा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
17. राजू पटेल, पिता सुरेश महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
18. लाला कुमार, पिता दामोदर प्रसाद, ग्राम- जीवनबीघा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
19. वीरेन्द्र प्रसाद, पिता स्वर्गीय शरण महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा

20. गनौरी महतो उर्फ उदय प्रसाद, पिता स्वर्गीय मथुरा महतो, ग्राम- जीवनबीघा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
21. रितेश कुमार, पिता राज कुमार महतो, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
22. मुकेश कुमार, पिता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
23. आनंद कुमार, पिता शिव प्रसाद, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
24. डबलू प्रसाद, पिता शिव प्रसाद, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
25. विकाश कुमार, पिता नरेश प्रसाद, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
26. चंदन कुमार, पिता अर्जुन महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
27. सोनू कुमार, पिता भूषण महतो, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
28. प्रजापति प्रसाद, पिता शरण महतो, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा). ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
29. दिलखुश कुमार, पिता भूषण महतो, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
30. रवि कुमार, पिता विनोद प्रसाद, ग्राम-जीवनबीघा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
31. सुनील कुमार, पिता सुरेंद्र प्रसाद, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना-शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.), जिला- शेखपुरा
32. अशोक कुमार, पिता स्वर्गीय कृष्णानंद प्रसाद, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
33. संतोष कुमार, पिता कपिलदेव प्रसाद, ग्राम-जीवनबीघा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा
34. शिव शंकर कुमार, पिता सुरेश प्रसाद, ग्राम-जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा

35. पंकज कुमार, पिता अरविन्द प्रसाद उर्फ झरझारी, ग्राम- जीवनबिगहा, थाना- शेखपुरा (कुसुम्भा ओपी), जिला- शेखपुरा

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. राजा राम पासवान, पिता स्व.लखन पासवान, ग्राम- जीयनबिगहा, थाना शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.)

... ...प्रतिवादी/ओं

==

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: श्री बिपिन कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री बिनय कृष्ण, अ.लो.अ.

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक आदेश

30-01-2024 1. पक्षों की सुनवाई की।

2. यह तात्कालिक अपील शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना केस संख्या 290/2022 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, शेखपुरा की अदालत द्वारा पारित दिनांक 11.08.203 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो एससी/एसटी केस संख्या 45/2022 से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 307, 337, 504 और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) के तहत दंडनीय अपराधों के अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जितेंद्र कुमार ने प्रस्तुत किया कि शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थानाकेस संख्या 290/2022 की

एफआईआर में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस निष्कर्ष के साथ अंतिम रिपोर्ट पेश की कि प्रतिवादी संख्या 2 का मामला झूठा था और अंतिम फॉर्म रिपोर्ट दिनांक 31.01.2023 की प्रति अनुलग्नक-पी/2 के रूप में दायर की गई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसी घटना के लिए संबंधित पुलिस ने पहले ही शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना केस संख्या 287/2022 के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को आरोपी बनाया गया था और उसके बाद अपीलकर्ताओं को परेशान करने के इरादे से प्रतिवादी संख्या 2 ने शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थानाकांड संख्या 290/2022 तथा शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थानाकांड संख्या 287/2022 में जांच के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है तथा इस संबंध में उक्त थानामामले से संबंधित पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी और प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने अपील का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि कथित अपराधों का संज्ञान लेने का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है क्योंकि शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) 2022 थाना केस संख्या 290 की केस डायरी में कथित अपराधों को प्रथम दृष्टया आकर्षित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

5. दोनों पक्षों को सुना तथा आक्षेपित आदेश एवं अन्य सुसंगत सामग्री का अवलोकन किया। शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना कांड संख्या 290/2022 की प्राथमिकी में सूचक/प्रतिवादी संख्या 2 ने 35 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया था, जिनका नाम उसने दिया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनमें से किसी के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था तथा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 की भैंस को बिजली के नंगे तार में विद्युत आपूर्ति के कारण करंट लगने की घटना घटी थी, जो उक्त भैंस के संपर्क में आया था तथा

उसके पश्चात प्राथमिकी में आरोपित घटना घटित हुई। जांच के पश्चात पुलिस ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को झूठा पाया तथा उक्त निष्कर्ष के साथ संबंधित न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राथमिकी के अनुसार कथित घटना में कई व्यक्तियों को चोट लगने की बात कही गई है, लेकिन अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जांच अधिकारी के समक्ष उक्त घायल व्यक्तियों की कोई चोट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के पूर्व कुसुम्भा ओ.पी. में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक कपिल प्रसाद ने अपीलार्थी पक्ष एवं प्रतिवादी संख्या 2 के कई लोगों के विरुद्ध शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना कांड संख्या 287/2022 दर्ज कराया था और उक्त प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी-डंडा आदि से हमला किया और उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि वे एक दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंककर कथित मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं तथा उनमें से कुछ ने विपरीत पक्ष पर गोली भी चलाई थी और कथित घटना में उनमें से कुछ घायल भी हुए थे। शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना में लगाए गए आरोप मामला संख्या 287/2022 की जांच संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा की गई और उक्त आरोपों में तथ्य पाते हुए पुलिस ने अपीलकर्ताओं के पक्ष के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष के कई आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। निस्संदेह, शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना मामला संख्या 290/2022 शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना मामला संख्या 287/2022 के संस्थित होने के बाद दर्ज किया गया था और यदि हम दोनों एफआईआर में वर्णित घटनाओं को ध्यान में रखते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना मामला संख्या 290/2022 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया था और इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 ने कथित घटना के कमीशन में उनकी विशिष्ट भूमिका का खुलासा किए बिना अपनी

एफआईआर में कई व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया था। मामला संख्या 290/2022 में स्वतंत्र गवाहों ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया और पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 2 की भैंस को बिजली का झटका लगने की घटना के कारण दोनों पक्षों के बीच खुली लड़ाई हुई और प्रतिवादी संख्या 2 ने एक चौकीदार के उकसावे पर अपना मामला दर्ज कराया।

6. उपरोक्त चर्चा किए गए तथ्यों के प्रकाश में दिखाई देने वाली सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह अदालत यह राय बनाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कई व्यक्तियों के खिलाफ एक सामान्य और बहुपक्षीय आरोप लगाते हुए अपना मामला दायर किया, उनमें से किसी की भी कोई विशिष्ट भूमिका का खुलासा किए बिना, जबकि उसी घटना के संबंध में पुलिस ने पहले शेखपुरा (कुसुम्भा ओ.पी.) थाना केस नंबर 287/2022 दर्ज किया था जो सही पाया गया था और दोनों पक्षों के लोगों को आरोप पत्र दायर किया गया था, इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लेने वाला आदेश उचित नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि इसे यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है और यदि अपीलकर्ताओं को कथित अपराधों के लिए ट्रायल पर रखा जाता है, तो इससे उन्हें अपूरणीय क्षति और पीड़ा होगी। इस प्रकार, आरोपित आदेश को रद्द कर दिया गया और तत्काल अपील को अनुमति दी गई।

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।